

कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर

आदेश

कंमाक /

/वि०लि०(३)/२०१७

जबलपुर दिनांक १३/१०/२०१७

श्रमायुक्त म०प्र० इन्दौर की अधिसूचना कंमाक १/११/अन्वे/ पांच / २०१५/ १०५४२-१०७४१ इन्दौर दि० २८/०९/२०१७ के द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु पूर्व में दिनांक १/०४/२०१७ से नई न्यूनतम वेतन की दरें ही दिनांक १/१०/२०१७ से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील की गई है।

म०प्र० शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कंमाक ३०३/आर/५७७/९२/नि-५/४ दिनांक ३० जून १९९२ तथा म०प्र० राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ की धारा २ (घ) में निहित प्रावधान सहपठित म०प्र० श्रम विभाग की अधिसूचना कंमाक ३७६१/६१३/१६-ए/८२ दिनांक २५/५/८२ एवं अधिसूचना दि० १०/१०/२०१४ के अनुशरण में, मैं महेश चंद चौधरी, (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला जबलपुर के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु संशोधित अनुसूची (क) में दर्शाये अनुसार नई पुनरीक्षित दरें जो दिनांक १/०४/२०१७ से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन प्रभावशील होगा।

अनुसूची -क

म०प्र० के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन श्रमायुक्त म०प्र० इन्दौर के अनुक्रम पूर्व में दिनांक १/०४/२०१७ से नई न्यूनतम वेतन की दरें ही दिनांक १/१०/२०१७ से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। :- (आंकड़े रूपयों में) (विशेष टीप अनुसार ३० दिनों विभाजित कर निर्धारित की गई है।)

कं.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्ड अप कर दैनिक दरें।
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	दिनांक ०१.०४.२०१७ से ३१.३.२०१८ तक पूर्व में दि० ०१.०४.२०१७ से जारी दरें यथावत है।		प्रतिमाह	प्रतिदिन	
				प्रतिमाह	प्रतिदिन			
१-	अकुशल	६५००=००	२१६=६६	६२५=००	२०=८३	७१२५=००	२३७=५०	२३८=००
२.	अर्धकुशल	७०५७=००	२३५=२३	९२५=००	३०=८३	७९८२=००	२६६=१०	२६६=००
३	कुशल	८४३५=००	२८१=१६	९२५=००	३०=८३	९३६०=००	३१२=००	३१२=००
४	उच्च कुशल	९७३५=००	३२४=५०	९२५=००	३०=८३	१०६६०=००	३५५=००	३५५=००

(१) स्पष्टीकरण :- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउन्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र कंमाक एफ-९-७/२००६/नियम/चार, दिनांक २० सितम्बर २००६ में ५० पैसे अथवा उससे अधिक पैसे

//2//

विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा। अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिये दर्शाई गई वेतन दरों परलेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 मह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महगाईभत्ता घोषित किया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जबतक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12 (1-ए)

(महेश चंद चौधरी)

कलेक्टर,

जबलपुर

जबलपुर दिनांक 18/अक्टूबर/2017

पृ0कं0 / 7963 / वि0लि0(3) / 2017

प्रतिलिपि:- 1. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

2. सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।

3. श्रमायुक्त, म0प्र0 इन्दौर की ओर विभाग के पत्र दि0 28.09.2017 के अनुक्रम में सूचनार्थ।

4. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।

5. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।

6. कलेक्टर जिला मंडला / सिवनी / बालाघाट / छिन्दवाडा / डिन्डौरी / कटनी।

7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर

8. आयुक्त नगर निगम जबलपुर।

9. सहायक श्रमायुक्त, विजयनगर, स्टेटबैंक के पास जबलपुर।

10. जिला / सिटी कोषालय अधिकारी जबलपुर।

11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जबलपुर की ओर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12. प्रशासनिक अधिकारी, छाबनी बोर्ड कार्यालय, कैंटोनमेंट, जबलपुर

13. अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर / पाटन / सिहोरा / कुंडम जिला जबलपुर।

14. तहसीलदार, जबलपुर / पाटन / सिहोरा / शहपुरा / मंझौली / कुंडम / पनागर जिला जबलपुर।

15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी.कलेक्ट्रॉरेट, जबलपुर की बेबसाइट <http://jabalpur.nic.in/> पर प्रदर्शित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. सर्व जिला विभाग प्रमुख
जिला जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(महेश चंद चौधरी)

कलेक्टर,

जबलपुर

16/10